

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर-प्रथम

कार्यालय: बी-६१०, ए.डी.आर. सेंटर, शिवमार्ग, बनीपार्क, जयपुर-३०२०१६



क्रमांक:- ३२३

दिनांक :- २०।।।२३

विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ2 () / रालसा/डीएस-प्रथम/ 26255 दिनांक 16.09.2019, एफ 2 (37)/ पीएलवी रकीम/ DS-I/ 12865-66 दिनांक 06.08.2021, Scheme for Paralegal Volunteer(Revised) & NALSA (legal services clinics in universities law colleges and other institutions) Scheme 2013 के निर्देशनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र एवं अधीनस्थ विधिक सेवा केन्द्रों पर पैरालीगल वॉलियन्टर के रूप में कार्य करने एवं विधिक सेवा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार पैरालीगल वॉलियन्टर का चयन कर पैनल तैयार करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र सं	स्थान	पीएलवी की संख्या
1-	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर-प्रथम के कार्यक्षेत्र (वररी, सांगानेर, चाकरू सहित) हेतु ।	30

1. शैक्षणिक योग्यता : आवेदक को केन्द्र अथवा राज्य सरकार से अनुमोदित शिक्षा वार्ड से सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए । अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने की अच्छी एवं व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए । अभ्यर्थी को पत्र-व्यवहार का भी समुचित ज्ञान होना चाहिए ।

2. आवेदन पत्र : इस पद हेतु अभ्यर्थी को ऑनलाइन <https://forms.gle/v9ZMKZvpZ3HyXNNW8> लिंक पर जाकर निर्धारित प्रारूप में ही ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा । व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा, जरिये ईमेल, अन्य प्रारूप या अधूरे प्रारूप में प्रेषित आवेदन पत्र को सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।

3. चयन की प्रक्रिया: प्राप्त आवेदन-पत्रों की जाँच कर सही आवेदन पत्रों को साक्षात्कार हेतु सम्मिलित किया जावेगा जिसके पश्चात आवेदको का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जायेगा । साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों को आमुखीकरण प्रशिक्षण दिया जाएगा । साक्षात्कार में सफल सभी अभ्यर्थियों को सभी प्रशिक्षण दिवस पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा । सभी प्रशिक्षण दिवसों पर उपस्थित अभ्यर्थीगण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर-प्रथम के पैनल में सम्मिलित किया जावेगा ।

4. चरित्र प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र: आवेदक द्वारा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के संबंधी न हो । ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए । आवेदनकर्ता एक शपथ-पत्र निम्नांकित विन्दुओं के आशय का आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा ।

- कि वह पैरा लीगल वॉलियन्टर याजना में रुचि रखते हुए कार्य करेगा ।
- कि उसे दिवालिया घोषित नहीं किया गया है ।
- कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है ।
- कि उसे किसी अपराध में अभियुक्त नहीं बनाया गया है ।
- कि वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ है एवं पैरा लीगल वॉलियन्टर का कार्य करने में राक्षम है ।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर—प्रथम

कागदीलय: बी-६१०, ए.डी.आर. सेन्टर, शिवमार्ग, वनीपार्क जयपुर-३०२०१६

- कि वह किसी भी राजनैतिक पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं है।
- कि वह पैरालीगल वॉलियन्टर के रूप में अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. शारीरिक योग्यता : आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पैरालीगल वॉलिन्टर्स का काम करने के योग्य होना चाहिए।

6. आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख/ दस्तावेजात प्रस्तुत किये जावें :-

- जन्मतिथि प्रमाण हेतु रोकण्डरी स्कूल परीक्षा की अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र की रव-प्रमाणित प्रति।
- शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की रव-प्रमाणित प्रति।
- दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
- आवेदन पत्र पर रवयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो।
- जाति प्रमाण-पत्र की रव-प्रमाणित प्रति।
- आवेदक द्वारा जिस पंचायत समिति के लिये आवेदन में किया जा रहा है, तो उसे पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में आने वाले गांव का स्थानीय निवासरत होने का सत्यापन के संबंध में आधार कार्ड/ राशन कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र/ मूल निवास या अन्य कोई समकक्ष प्रमाण पत्र की रव-प्रमाणित प्रति।
- निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित रव-प्रमाणित शपथ-पत्र।
- यदि आवेदक सेवा निवृत्त अध्यापक या राजकीय कर्मचारी वरिष्ठ नागरिक/ एम.एस. डब्ल्यू छात्र/ छात्राएं व अध्यापक, आगनबाडी कार्यकर्ता/ डॉक्टर/ फिजिशियन/ छात्र/ छात्राएं व विधिक छात्र/ छात्राएं (जब तक वे वकालत के लिए एनरोल न हो)/ गैर राजनीतिक दलों के सदस्य/ सेवाभावी एन.जी.ओं. क्लब्स, महिला ग्रुप, मैत्री संगम, रवयं सहायता समूह संबंधित प्रमाण पत्र की रव-प्रमाणित प्रति।

7. आवेदन की अंतिम तिथि :-

आवेदन पत्र जरिये ऑनलाईन <https://forms.gle/v9ZMKZvpZ3HyXNNW8> लिंक द्वारा दिनांक 20.11.2023 को प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 30.11.2023 को सायं 05:00 बजे तक ही प्राप्त किये जायेंगे। इस तिथि के पश्चात उक्त लिंक निष्क्रीय हो जायेगा। अपूर्ण आवेदन अथवा वांछित प्रमाण-पत्रों की रवयं द्वारा प्रमाणित प्रतियों अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर—प्रथम

कार्यालय: बी-६१०, ए.डी.आर. सेन्टर, शिवमार्ग, बनीपार्क, जयपुर-३०२०१६

८. पात्रता:-

पात्र व्यक्ति	अपात्र व्यक्ति
१. सेवारत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक	१. अधिवक्तागण / विधि व्यवसायी
२. सेवानिवृत्त राजनीतिक कर्मचारी एवं वरिष्ठ नागरिक	२. राजनीतिक संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए व्यक्ति
३. एम.एस. डब्ल्यू. छात्र/छात्राएं एवं शिक्षक	३. राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए एन.जी.ओ. के कार्यकर्ता
४. आंगन वाडी कार्यकर्ता	४. किसी अपराध के लिए दोपरिद्वय व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो किसी अपराध का अभियुक्त हो
५. चिकित्सकगण	५. ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से पैरालीगल वॉलन्टीयर का कार्य करने में असक्षम हो
६. विधि छात्र/छात्राएं	६. ऐसे व्यक्ति जिनके व्यक्तिगत हित किसी भी आधार पर पैरालीगल वॉलन्टीयर स्कीम के हितों को प्रभावित करते हो
७. गैर राजनीतिक खयं सेवा समूह (एन.जी.ओ.) के सदस्यगण	
८. महिला संगठनों के कार्यकर्ता	
९. पिछड़े तबको के लिये कार्य कर रहे खयं सेवी समूहों के सदस्यगण	
१०. समाज सेवी व सामाजिक कार्यकर्ता	

पी.एल.वी. का चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उन्हें शार्ट लिस्टिंग कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। पी.एल.वी. चयन हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अल्पसंख्यक आवेदकों के रांघड़ में भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा व महिलाओं को प्राथमिकता दिये जाने के साथ-साथ स्थानीय पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में निवासरत अलग-अलग गाँव के निवासी होने की शर्त की पालना करने वाले आवेदक को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। यदि स्थानीय निवासी ना मिले तो ही पडौस की पंचायत समिति के निवासी पर विचार किया जायेगा। निवास स्थान का सत्यापन आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि के अवलोकन पश्चात किया जायेगा।

९. भुगतान:-

पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स के रूप में उनका चयन किया जावेगा जो इसे आय का साधन समझकर नहीं आना चाहते। चयन किए जाने वाले व्यक्ति में जरूरतमंदों की सेवा करने की भावना होनी चाहिए तथा शोषित और विवित तबके लिए करुणा, सहानुभूति तथा उनकी रिस्ति बेहतर करने का संकल्प होना चाहिए। पैरालीगल वॉलेन्टीयर्स को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदेय (Honorary) राशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का वेतन (salary), प्रोत्साहन राशि (remuneration) अथवा मजदूरी (wages) देय नहीं होगी।

१०. पैरालीगल वॉलेन्टीयर्स के मुख्यतः निम्नाकिंत कार्य करें:-

- विधिक सेवा केन्द्र पर निर्धारित दिवस पर निर्धारित समय अवधि में उपरिष्ठत रहेगा।
- पैरालीगल वॉलेन्टीयर्स अपने संपर्क में आने वाले लोगों को विधिक सेवा संस्थाओं एवं विधिक सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी देगा, इनका प्रचार करने में कोई करार नहीं रखेगा।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर-प्रथम

कार्यालय: बी-६१०, ए.डी.आर. सेन्टर, शिवमार्ग, बनीपार्क जयपुर-३०२०१६

- केन्द्र पर आने वाले लोगों को वैकल्पिक विवाद निस्तारण तकनीक अर्थात् लोग अदालत, मध्यस्थता आदि के उपयोग एवं उनके लाभों के बारे में बतायेगा। अधिक जानकारी के लिये पैम्पलेट्स पढ़ने के लिये देगा।
- केन्द्र पर आने वाले प्रत्येक लाभार्थी की समरया को पूरी संवेदनशीलता के साथ धैर्यपूर्वक सुनेगा, उसे अपने पास मौजूद पैरालीगल वॉलेन्टीयर निर्देशिका की सहायता से उचित सलाह देगा। जटिल मामला होने पर उसे रक्षानीय वरिष्ठतम् न्यायाधीश (ताल्लुका अध्यक्ष) या जिलाविधिक सेवा प्राधिकरण के फन्ट ऑफिस में संपर्क करने की सलाह देगा।
- प्रत्येक लाभार्थी को उसकी पात्रता के अनुरूप लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बतायेगा।
- लोक कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन तैयार करने एवं आवश्यक औपचारितायें पूरी करने में लाभार्थियों की मदद करेगा।

(समरेन्द्र सिंह सिकरवार)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर महानगर-प्रथम।

क्रमांक:- ३३७५-३३८६

दिनांक:- २०/११/२३

प्रतिलिपि सूचनार्थ /चरण देतु सादर प्रेषित है:-

- 1- श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर।
- 2- नोटिस वोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर/ जयपुर जिला।
- 3- नोटिस वोर्ड, कलेक्टरेट बनीपार्क जयपुर/जिला परिवद जयपुर/गिरो राविचालय जयपुर।
- 4- नोटिस वोर्ड, सिविल न्यायालय चाकसू/वस्सी/सांगानेर।
- 5- नोटिस वोर्ड उपखण्ड अधिकारी कारात्तिय चाकसू/वस्सी/सांगानेर
- 6- नोटिस वोर्ड विभिन्न विधि महाविद्यालय/विश्वविद्यालय
- 7- नोटिस वोर्ड नगर निगम कार्यालय लालकोटी जयपुर।
- 8- नोटिस वोर्ड जन सूचना केन्द्र जयपुर।
- 9- नोटिस वोर्ड वन स्टॉप काइरिस सेन्टर फॉर वीगेन जयपुरिया अस्पताल(अपराजिता सेन्टर) मालवीय नगर जयपुर।
- 10- नोटिस वोर्ड विभिन्न महिलासंगठन जयपुर।
- 11- नोटिस वोर्ड अध्यक्ष दी वार एसोसियेशन जयपुर महानगर जयपुर।
- 12- ई-कोर्ट वेबसाईट, जिला एवं सत्र न्यायालय जयपुर माहनगर-प्रथम।

(समरेन्द्र सिंह सिकरवार)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर महानगर-प्रथम।